

तारीख  
हुक्म

३०/१/१९

उत्तरायण अखिलता उप.

अपराधीगण को वास्ते

जवाब प्रार्थना पत्र कई अक्सर दिए गए लेकिन  
प्रतिवादीगण द्वारा आज पेन्नी दिनांक तक कोई  
जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन प्राणी व अपराधीगण दोनों पक्षों  
को इस तरह पाबंद किया जाता है कि वह इस  
पत्रावली के मुसवादा के निस्तारण तक वर्तमान कक्षा  
काशत अनुसार ही कक्षा काशत करेंगे। कोई भी  
पक्ष किसी दूसरे पक्ष के एक दिशा में किसी  
प्रकार की कोई बखल आन्दानी न ले स्वयं करे  
और न ही किसी अन्य से करवावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर

के एक काग होकर मुसवादा पत्रावली के साथ  
संलग्न की जावे।

सहायक कलेक्टर एवं कायपालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रैक) फलोदी